रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2012/वैशाख 7, 1934

No. 189] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 2012/VAISAKHA 7, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 326(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968(1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के साथ पठित उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध (समूह 'ख' योधक तकनीकी स्टाफ) भर्ती नियम, 2005 और सीमा सुरक्षा बल जल स्कंध, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 को जहाँ तक उनका संबंध उप निरीक्षक (मास्टर), उप निरीक्षक (कार्यशाला) और उप निरीक्षक (इंजन चालक) के पदों से है । उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पहले किया गया है या करते का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सीमा सुरक्षा बल के जल स्कंध में समूह 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध, समूह 'ख' (योधक तकनीकी स्टाफ) पद, भर्ती नियम, 2012 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :— ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ(1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगें, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं – वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

चिकित्सक दृष्टया योग्यता:–(।) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप–।, में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(2) शेप–। से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :–

(।) कोड अक्षर शेप (एस एच ए पी ई), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण :–

एस – मनोवैज्ञानिक
एच – श्रवण शक्ति
ए – उपांग (अपैन्डेजेस)
पी – शारीरिक क्षमता
ई – दृष्टि शक्ति

(।।) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी । कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी–। में हैं वहां उसका प्रवर्ग एस 1एच1ए1पी1ई1 लिखने के बजाय शेप–। लिखकर दर्शाया जा सकेगा और इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :–

(।) कहीं भी सभी कर्त्तव्यों के लिए योग्य।

(2) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किंतु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या ऑखों को श्रवण शक्ति या दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।

(3) 'एस' कारक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडो पर और दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।

(4) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।

(5) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।